सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 16 राँची, गुरुवार, 22 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 जनवरी, 2026

संख्याः-11/क.च.आ.-16-07/2013 का. 72--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली "**झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2025**" कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 7 में निम्नवत् प्रावधान हैं :-

"परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी"

उक्त प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(i) परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी -

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परन्तु किसी परीक्षा में 50,000 (पचास हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा।

(ii) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

(iii) परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(iv) **प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम** - सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

(क) सामान्य अध्ययन	-	30 प्रश्न
(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	-	60 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	-	10 प्रश्न
(घ) सामान्य विज्ञान	-	10 प्रश्न
(ङ) मानसिक क्षमता जाँच	-	10 प्रश्न
कुल	**-**	**120 प्रश्न**

<u>प्रारम्भिक परीक्षा का पाठयक्रम</u>

<u>पत्र- सामान्य ज्ञान</u>

(क) सामान्य अध्ययन इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रुप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः- झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) सामान्य गणितः- इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) **सामान्य विज्ञान:-** सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ङ) **मानसिक क्षमता जाँच:-** इसमे शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(v) **प्रारम्भिक परीक्षा उपरान्त मुख्य परीक्षा हेतु चयन:-** प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदुपरान्त कुल रिक्ति के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि (उदग्र एवं क्षैतिज) के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के पन्द्रह गुणा से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा।

(vi) **प्रारम्भिक परीक्षा अन्तर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान:-** प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान निम्नवत् तालिका अनुसार होगी:-

क्रं.सं	**आरक्षण कोटि**	**न्यनूतम प्राप्तांक**
1.	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40 (चालीस) प्रतिशत
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला	32 (बत्तीस) प्रतिशत
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	34 (चौंतीस) प्रतिशत
4.	पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2	36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
5.	आदिम जनजाति	30 (तीस) प्रतिशत

(ख) मुख्य परीक्षा :- मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत् रहेंगे।

3. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इसके शेष नियम यथावत् रहेंगे।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 16 - 50